

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत ।

पत्रांक / क०गा०बा०आ०वि० / एस०एस०ए० / 5923 - 29

2023-24

दिनांक- 15/5/2023

विज्ञापित

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, निशातगंज, लखनऊ के पत्रांक-के०जी०बी०वी० / 11308 / 2022-23 दिनांक 14.02.2023, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता संख्या:-2805/68-5-2023-05/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 01 फरवरी, 2023 तथा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, लखनऊ एवं राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक के०जी०बी०वी०/शिक्षक/8362/2020-21 दिनांक 04.01.2021 तथा अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1553/68-5-2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक: 11 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन दिनांक 18.04.2023 के अनुक्रम में जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, छपरोली में रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा के अधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन केवल पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत निकट कलक्ट्रेट बागपत में दिनांक 31.05.2023 की सोय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपूर्ण/अपठनीय तथा अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न रहित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

## रिक्तियों एवं आरक्षित पदों का विवरण

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	पद का नाम/विषय	पद का प्रकार	रिक्त पदों की संख्या	जति	शैक्षिक योग्यता	मानदेय प्रतिमाह
01	02	03	04	05	06	07	08
01	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, छपरोली (बागपत)	शिक्षिका (गणित)	पूर्णकालिक (महिला)	01	सामान्य	गणित (पी०सी०एम०) वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी० मान्य होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।	22000.00
02		शिक्षिका (हिन्दी)	पूर्णकालिक (महिला)	01	सामान्य	भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी०ई०टी०) मान्य होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड० तथा उसके समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।	22000.00
03		शिक्षिका (स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा)	अंशकालिक (महिला)	01	पिछड़ी जाति	बी०पी०एड०, सी०पी०एड० तथा डी०पी०एड० आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी, किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी०पी०एड०, सी०पी०एड० तथा डी०पी०एड० अभ्यर्थियों हेतु टी०ई०टी० अनिवार्य नहीं होगी।	9800.00
04		शिक्षिका (कम्प्यूटर)	अंशकालिक (महिला)	01	अनुसूचित जाति	कम्प्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन०सी०टी०ई० से मान्य बी०एड०/समकक्ष एल०टी० इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त पी०जी०डी०सी०ए०/बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी०ओ०ई०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से ओ लेवेल/ए लेवेल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।	9800.00
05		लेखाकार	(महिला)	01	अनारक्षित	लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम०एस० ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी०ओ०ई०ए०सी०सी० या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में ओ लेवेल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।	11000.00

नोट- आवेदन पत्र का प्रारूप एवं रिक्तियों से सम्बन्धित दिशा निर्देश/नियम शर्त/विवरण जनपद की वेब साईट [www.baghpat.nic.in](http://www.baghpat.nic.in) पर देखे जा सकते हैं। उक्त रिक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं०-13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

15.5.2023  
डॉ० संगीता शर्मा  
जिला समन्वयक बालिका शिक्षा  
बागपत

15/05/2023  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बागपत।


0गां0बा0अ0वि0 / एस0एस0ए0 /

2023-24

तद् दिनांक-


4-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
02. जिलाधिकारी महोदय, बागपत की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
03. सचिव महोदय (बेसिक शिक्षा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
04. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बागपत।
05. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बागपत।
06. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस आशय से कि दी गयी विज्ञप्ति नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
07. सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले अंक में न्यूनतम अंक एवं शासकीय दरो पर प्रकाशित कर बिल तीन प्रतियों में अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (प्रादेशिक स्तर)

  
15.5.2023

डॉ० संगीता शर्मा

जिला समन्वयक बालिका शिक्षा  
बागपत

  
15/05/2023  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बागपत।

एवं शर्तें-

हर्ता:-

- पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- अग्रेतर उल्लेखनीय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या के0जी0बी0वी0/3-2/1916/2013-14 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
- उर्दू शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होगी।
- कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक डी0ओ0ई0एस0सी0 या समकक्ष संस्था से "ओ लेवल"/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
- कला, काफ़्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक/शिक्षिका का पद कला, काफ़्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रहे हैं, उनके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने पर, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा, किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- समस्त रिक्त पदों केवल महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जायेगा।
- लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम0एस0ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0 या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में "ओ" लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- मुख्य रसोईया/सहायक रसोईया/चपरासी/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 08 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संकामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।

## 02. आयु:-

- समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल, 2022 को 25 वर्ष होगी।
- समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल, 2022 को 45 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के

15.5.2023  
डॉ० संगीता शर्मा  
ज़िला समन्वयक बालिका शिक्षा  
बागपत

KAP  
ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बागपत



समतुल्य छूट प्रदान की जाये, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

### 03. आरक्षण:-


- राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

### 04. चरित्र:-

- किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयनित समिति अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में यथोचित समाधान करेगी।
05. उपरोक्त समस्त पद संविदा पर आधारित होंगे तथा विद्यालय में कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिये किया जायेगा, यदि कार्यरत वॉर्डन/शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक पाया जाता है, तो अगले सत्र के लिये उनकी संविदा का जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त नवीनीकरण किया जायेगा।
  06. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक तथा अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी अथवा स्व0 प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
  07. एक अभ्यर्थी से एक पद हेतु एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
  08. दो लिफाफो पर 25-25 रूपयें के डाक टिकट लगाकर स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित लिखें तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजें।
  09. अपूर्ण अपठनीय, आवेदन पत्र तथा आरक्षित पद पर आवेदक द्वारा आरक्षण प्रमाण पत्र न संलग्न करने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
  10. प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक पद के लिये वरीयता क्रम में 05-05 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
  11. जनपदीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा। निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है।
  12. उक्त चयन प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार जनपदीय समिति का होगा।
  13. पूर्णकालिक/अंशकालिक शिक्षिका का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा एवं राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार मनोविज्ञान शिक्षक द्वारा साक्षात्कार भी लिया जा सकता है।
  14. मुख्य रसोइया हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष साक्षात्कार कर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
  15. चयनित विषय के अतिरिक्त धारित योग्यता के आधार पर अन्य विषयों का भी शिक्षण कार्य लिये जाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निहित होगा।
  16. वॉर्डन, पूर्णकालिक शिक्षिका/मुख्य रसोइया/सहा0रसोइया को विद्यालय में ही रात्रि निवास करना होगा, किन्तु परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर में निवास की अनुमति नहीं होगी।
  17. विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा तथा चयन समिति के निर्णयानुसार चयन किया जायेगा।
  18. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.05.2023 को सांय 05:00 बजे के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।


**नोट:-** उक्त रिक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

15.5.2023  
डॉ० संगीता शर्मा  
जिला समन्वयक बालिका शिक्षा  
बागपत

  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बागपत।

# कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

01. आवेदित विद्यालय का नाम .....
02. आवेदित पद का नाम .....
03. गृह जनपद का नाम .....
04. अभ्यर्थिनी का नाम (हिन्दी में) .....
05. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) .....
06. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार) .....
07. आयु (दिनांक 01.04.2023 को) ..... वर्ष ..... माह ..... दिन.....
08. पत्र व्यवहार का पता .....



09. स्थायी पता .....
10. टेलीफोन न० (एस०टी०डी० कोड सहित) ..... मोबाईल न० .....
11. जाति आरक्षण कोड सामान्य वर्ग-3, पि०जाति-4, अनु०जाति-5 .....
12. शैक्षिक योग्यताओं का क्रमवार विवरण:-

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि०वि० का नाम वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	हाईस्कूल					
02	इण्टरमीडिएट					
03	स्नातक					
04	बी०एड०, बी०पी०एड०/सी०पी०एड० /डी०पी०एड०					
05	टी०ई०टी० उच्च प्राथमिक					
06	अन्य					

अनुभव (सम्बन्धित पद का ) केवल 2020-21 में के०जी०बी०वी० से वंचित शिक्षक शिक्षिकायें .....

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जॉचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थान/अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण-पत्र/अंकपत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध है। आवेदन पत्र प्रेषित करने के दिनांक के बाद कोई भी प्रमाण-पत्र/अंकपत्र प्रस्तुत करने पर उसको अमान्य करने व विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाये।

नोट:- उक्त रिक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं०-13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

दिनांक .....

अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी का नाम व हस्ताक्षर तिथि सहित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

*सुनीता शर्मा*  
5.5.2023  
डॉ० सुनीता शर्मा  
जिला समन्वयक बालिका शिक्षा  
बागपत

*Kol*  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
बागपत